


आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 65/2024 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एक्ट)
इंड सिंड बैंक लिमिटेड रजिस्टर्ड कार्यालय 2401 जनरल थिम्मेया रोड (कन्टरानमेन्ट) पुणे एवं शाखा
कार्यालय ग्राउण्ड फ्लोर, संगम टावर, चर्च रोड, जयपुर ।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स जयपुर कैफे जरिये प्रोपराईटर ऋषि शर्मा
पता-फ्लेट नम्बर डी-401, चतुर्थ फ्लोर, महिमा डिजाईर, प्लाट नम्बर 1 व 2 जयसिंहपुरा बास,
भांकरोटा, जयपुर ।
2. ऋषि शर्मा पुत्र श्री रमेश कुमार शर्मा
3. श्रीमती पुष्पा शर्मा पत्नी श्री रमेश कुमार शर्मा
पता-फ्लेट नम्बर डी-401, चतुर्थ फ्लोर, महिमा डिजाईर, प्लाट नम्बर 1 व 2 जयसिंहपुरा बास,
भांकरोटा, जयपुर ।



The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of
Security Interest Act, 2002

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

उपस्थित:-

1. श्री मनोहर सिंह मेड़तिया अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक 20.05.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने दिनांक 24.02.2020 अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती पुष्पा शर्मा पत्नी श्री रमेश कुमार शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लेट नम्बर डी-401, चतुर्थ फ्लोर, महिमा डिजाईर स्थित प्लाट नम्बर 1 व 2 जयसिंहपुरा बास, भांकरोटा, जयपुर क्षेत्रफल 1042.40 वर्गफिट को बन्धक रख कर कुल राशि 17,28,419/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 09.12.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

जिला मजिस्ट्रेट
(आवृत्त) जयपुर (आजीव)



3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 17,27,419/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन.पी.ए. घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 14,04,733.23-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 09.12.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को जबाब दिया गया है जिसका प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा निस्तारण कर दिया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।
4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती पुष्पा शर्मा पत्नी श्री रमेश कुमार शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लेट नम्बर डी-401, चतुर्थ फ्लोर, महिमा डिजाईर स्थित प्लाट नम्बर 1 व 2 जयसिंहपुरा बास, भांकरोटा, जयपुर क्षेत्रफल 1042.40 वर्गफिट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



आदेश आज दिनांक 20.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)